निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 02/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री इन्द्रपाल मीणा, प्रतर्वन अधिकारी, सांभर लेक ।

प्रार्थी

बनाम

हीरालाल तेतरवाल पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल, जाति जाट निवासी ग्राम पचकोडिया, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 48 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.200 किग्रा. मय एलपीजी 181.400 कि.ग्रा. एवं 7 व्यवसायिक सिलेण्डर क्षमता 19 कि.ग्रा. खाली को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का अवैद्य भण्डारण की सूचना पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेशानुसार दिनाकं 05.02.2024 को समय 2.30 पीएम पर मन प्रवर्तन अधिकारी सांभर मे अप्रार्थी हीरालाल तेतरवाल पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल जाति जाट की ग्राम पचकोडिया मैन बस स्टेण्ड मंढा रोड स्थित दुकान पर पहुंच का जॉच की। यक्त निरीक्षण मौके पर श्री हीरालाल तेतरवाल उपस्थित मिला जिसकी मौजदूगी में जांच किये जाने पर 14.200 किग्रा क्षमता के 48 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 181.4 कि.ग्रा. एलपीजी एवं 07 खाली व्यवसायिक सिलेण्डर दुकान में रखे हुए पाए गये । अप्रार्थी द्वारा दुकान में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलण्डरों का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकत पैट्रोलियम गैस (प्रदान और वितरण का निनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 48 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 181.40 कि.ग्रा. एवं 7 वाणिज्यक गैस सिलेण्डर खाली को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स्वयं अन्य उपभोक्ताओं के साथ उपस्थित हुआ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त निरीक्षण मौके जांच किये जाने पर 14.2 किग्रा क्षमता के 48 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 181.4 कि॰ग्रा॰ एलपीजी एवं 07 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान में रखे हुए पाए गये है जिनके सम्बध में कोई दस्तावेज व संतोषजनक जबाब पेश नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलण्डरों का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकत पैट्रोलियम गैस (प्रदान और वितरण का निनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः जब्त 48 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 181.40 कि.ग्रा. एवं 7 वाणिज्यक गैस सिलेण्डर खाली को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उत्तरदाता ग्रामीण ईलाके में ही अपनी छोटी मोटी दूकान चलाता है। ग्राम के समस्त निवासियों से अच्छा व्यवहार होने के कारण ग्रामवासी जो ढाणियों एवं आस पास में रहते है और ज्यादातर अपनी खेती, काश्त, मजदूरी एवं अन्य कामों में लगे हुए रहते है जिसके कारण उक्त ग्रामवासी समय पर घर पर नहीं मिलते व गैस सिलेण्डर की गाडी गांव में आने पर समय पर मौजूद नहीं होने के कारण अपने अपने सिलेण्डर उत्तरदाता की दुकान के बाहर व अन्दर रख कर चले जाते है। साथ में अपने गैस सिलेण्डर की डायरी एवं रूपये रख जाते है। जो गैस ऐजेन्सी की गाडी आती है तब वह उत्तरदाता की दुकान पर आकर डायरियों एवं कूपनों के अनुसार सिलण्डेर पुनः उत्तरदाता की दुकान पर रख जाती है तथा उक्त गैस ऐजेसी की जो गाडी आती है वह सात दिन में एक बार ही उक्त ग्राम में आती है जिसके कारण समस्त ग्रामवासियों के सिलेण्डर उत्तरदाता की दुकान पर रखे रहते है। उत्तरदाता तो अपनी दुकान पर आने वाले ग्रामवासियों एवं मिलते जुलते तथा अन्य आमजन की केवल मात्र सेवा करता है व सिलेण्डरों की निगरानी रखता है तथा ग्रामवासियों की डायरियों एवं दस्तावेजात को सम्भाल कर रखता है । उत्तरदाता उक्त सेवा के बदले ग्रामवासियों एवं अपने मिलने जुलने वालों से एक रूपया अलग से नहीं लेता है। जिन ग्रामवासियान के सिलेण्डर है वह लोग भी अपने गैस बुकिंग नम्बर व अपनी अपनी गैस डायरी लेकर उपस्थित है। प्रार्थी की अवैद्य मुनाफा जैसी कोई मन्शा नही रही है। अतः अप्रार्थी के विरुद्व कार्यवाही ड्राप की जाकर जब्त गैस सिलेण्डरधारको को उनके सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश फरमावें ।

6- उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 05.02.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. जब्त वाणिज्यक सिलेण्डर में से अप्रार्थी शंकर टी स्टाल का 01 सिलेण्डर, यादव भोजनालाय के एचपी गैस के दो सिलेण्डर, रामसहाय यादव भारत गैस का 1 सिलेण्डर के ईण्डेन कम्पनी नावा गैस सर्विस से लिये गये कामर्शिलय कनेक्शन की फोटो प्रति पेश की

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है। कामर्शियल गैस के सभी सिलेण्डर खाली जब्त किये गये है । वाणिज्यक सिलेण्डर पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, जिन्हें जब्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अप्रार्थी ने जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स बाबत निम्न प्रकार से उपभोक्ताओं की गैस डायरी व बुकिंग नम्बर प्रस्तुत किये है –अन्नपूर्णा भारत गैस ऐजेन्सी

क. सं.	नाम उपभोक्ता	डायरी कमांक	कैश मीमो नं.	बुकिंग दिनांक
01	भीराराम	205308	148403	12.01.2024
02	श्रवण लाल यादव	209766	151479	17.01.2024
03	सुनीता	205391	148408	12.01.2024
04	मोयली देवी	209800	153334	23.01.2024
05	हीरालाल	205098	158581	29.01.2024
06	सूरज देवी	209631	135673	21.12.2023
07	किशनाराम	63931076	140932	25.01.2024
08	हरि वर्मा	209770	138308	26.01.2024
09	सूरज मल	209628	150829	16.01.2024
10	बलवीर	209782	150739	16.01.2024
11	हंसा यादव	100615395	143219	5.01.2024
12	ललिता यादव	100611283	143255	5.01.2024
13	सांवर मल मीना	209768	138307	26.12.2023
14	ममता जाट	100678691	135981	21.01.2024
15	पोखर मल	205102	151475	12.01.2024
16	श्रवण लाल	209763	138303	26.01.2024
17	सुमित्रा देवी	205105	154340	23.01.2024
18	नन्छी देवी	209617	148407	11.01.2024
19	महेन्द्र तेतरवाल	205103	150734	11.01.2024
20	हनीस सेक	85502895	154330	23.01.2024
21	बनवारी लाल	59372074	154336	22.01.2024
22	रामपाल	209620	148405	12.01.2024
23	लालचद	61792283	147434	22.01.2024
24	सुमन	209780	126364	26.01.2024

आशुतोष एच.पी. गैस ऐजेन्सी –

01	दानाराम	100537	1289093	16.09.2023
02	जगदीश	100451	1298123	26.11.2023
03	कमला देवी	107129	1303694	05.01.2024
04	दडकली	103352	1303082	02.01.2024
05	लाडी देवी	106911	1304377	10.01.2024

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

06	नारायणी	103514	1304958	14.01.2024
07	सुरेश राम जाट	100840	1302900	01.01.2024
08	कमला देवी	107071	1307164	31.01.2024
09	भंवरी देवी	107137	1306542	26.01.2021
10	मीरा देवी	107135	1306541	26.01.2024
11	गौरा देवी	105586	1305548	19.01.2024
12	ममता देवी	106788	1307734	03.02.2024
13	प्रभाती देवी	106745	1307733	03.02.2024

नावा इन्डेन गैस ऐजेन्सी –

01	सुनीता देवी	21479960	3510942343	26.01.2024
02	मीनू	29151546	3510940449	26.01.2024
03	मनभर	86027085	3512402576	27.01.2024
04	सुरेश कुमार	78518261	3127311089	22.08.2023
05	सीता देवी	78527754	3531439950	03.02.2024
06	बरकत बानो	3151614	3445617245	01.01.2024
07	सराजुद्दीन	78513456	3509575916	05.01.2024
08	फरीदा बानो	2597397	3457501168	05.01.2024
09	जकीर हुसैन	71008095	3493407091	19.01.2024
10	मोहन लाल	78512745	3523063745	31.01.2024
11	किस्मत बानो	3151165	3457510910	05.01.2023

9. इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से जब्त उक्त गैस सिलेण्डर अन्य उपभोक्ताओं के कनेक्शन शुदा बुकिंग कराये हुये है। पुष्टि में अन्नपूर्णा भारत गैस ऐजेन्सी एवं आशुतोष एच.पी. गैस एजेन्सी के पत्र तथा नावा इण्डेन गैस की बुकिंग रसीदें प्रस्तुत की गई है। जिससे जब्त सिलेण्डर उपभोक्ताओं के होने की पुष्टि होती है। चूंकि उक्त सिलेण्डर्स अप्रार्थी की दुकान पर पाये गये है जो सुरक्षा की दृष्टी से उचित नहीं है, किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग के माध्यम से विधिवत प्राप्त किये गये है। इसलिए न्याय हित में जब्त वाणिज्यक व विभिन्न कम्पनियों के घरेलू गैस सिलेण्डर्स को उपभोक्ताओं के पक्ष में रिलीज किया जाना वाजिब समझते है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त गैस सिलेण्डर्स उपभोक्ताओं को लौटाये जो के आदेश दिये जाते दिये जाते है। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner